

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

//प्रारंभिक अधिसूचना//

क्रमांक / 1655 / भू-अर्जन / 2022

दंतेवाड़ा, दिनांक 13/03/2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है।

—अनुसूची—

जिला	भूमि का विवरण				प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
	तहसील	ग्राम/प.ह. नं.	खसरा नं	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) लगभग		
1	2	3	4	5	6	7
दंतेवाड़ा	गीदम	प.ह.नं.—07	168 170 177 181 185 231 252 284/2 247/1 284/4 284/5 284/6 285 280 281 412	0.050 0.170 0.100 0.160 0.340 0.260 0.200 0.040 0.020 0.060 0.020 0.050 0.050 0.130 0.050 0.020	कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग दंतेवाड़ा	फरसपाल से ढोलकाल पर्यटन स्थल तक सड़क निर्माण
योग :-			16	1.720		

2. यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामजिक समाधात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

(2)

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दंतेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
4. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।
5. प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिये कराये गये सामाजिक समाधात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाधात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।
6. प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व दंतेवाड़ा को पुनर्वास और पुनर्वस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

Nandawar
(विनीत नंदनवार)
कलेक्टर
जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
एवं पदेन उप सिचव छोगो शासन
राजस्व विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग